कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–24/2019– 488 दिनांक : 25.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रू0 326.196 (तीन करोड़ छब्बीस लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–31/2019–13/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–31/2019–13/आ0 व0प0 दिनांक 07.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 326.196 (तीन करोड़ छब्बीस लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	272.924
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	53.272
कुल :–		**326.196**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की

21-25

राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते है। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11 सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

19(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यो का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक–1254 दिनांक–20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–24 / 2019–** 488 दिनांक– 25.08.2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / जमशेदपुर / चाईबासा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–24 / 2019–** 488 दिनांक– 25.08.2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / खूँटी / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / चाईबासा / जमशेदपुर / सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 257.29 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			5840.48	**1140.00**	**6980.48**
राँची रीजन					
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	300	17.521	3.420	20.941
2	खूँटी वन प्रमण्डल	70	4.088	0.798	4.886
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	400	23.362	4.560	27.922
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	200	11.681	2.280	13.961
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	300	17.521	3.420	20.941
	योगः–	**1270**	**74.173**	**14.478**	**88.651**
जमशेदपुर रीजन					
6	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	400	23.362	4.560	27.922
7	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	450	26.282	5.130	31.412
8	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	500	29.202	5.700	34.902
9	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	370	21.610	4.218	25.828
10	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	650	37.963	7.410	45.373
11	सरायकेला वन प्रमंडल	250	14.601	2.850	17.451
	योगः–	**2620**	**153.020**	**29.868**	**182.888**
प्रसार वानिकी					
12	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	200	11.681	2.280	13.961
13	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	143	8.352	1.630	9.982
14	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	190	11.097	2.166	13.263
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	250	14.601	2.850	17.451
	योगः–	**783**	**45.731**	**8.926**	**54.657**
	सकल योगः–	**4673**	**272.924**	**53.272**	**326.196**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : **257.29** कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 257.29						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	514.58	640.00	1154.58	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1132.08	0.00	1132.08	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	5	1286.45	0.00	1286.45	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1029.16	0.00	1029.16	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	1878.22	0.00	1878.22	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**22.70**	**5840.48**	**1140.00**	**6980.48**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-24/19P1/488 दिनांक - 25-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39442	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,752,100.00 रुपये स त्र ह लाख बावन हजार एक सौ
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39443	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	408,800.00 रुपये चार लाख आठ हजार आठ सौ

योग: 2,160,900.00

क्रमिक योग: रुपये इक्कीस लाख साठ हजार नौ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

पत्र संख्या - 01/YB-24/19P1/488 दिनांक - 25-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39444	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	2,336,200.00 रुपये तेइस लाख छत्तीस हजार दो सौ
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39445	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	1,168,100.00 रुपये ग्यारह लाख अडसठ हजार एक सौ
5	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39446	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,752,100.00 रुपये स त्र ह लाख बावन हजार एक सौ

योग: 5,256,400.00

क्रमिक योग: रुपये चौहत्तर लाख स त्र ह हजार तीन सौ 7,417,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39448	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	2,336,200.00 रुपये तेइस लाख छत्तीस हजार दो सौ
7	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39455	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	2,628,200.00 रुपये छब्बीस लाख अठाइस हजार दो सौ
8	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39461	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	2,920,200.00 रुपये उन्तीस लाख बीस हजार दो सौ

योग: 7,884,600.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तीरपन लाख एक हजार नौ सौ 15,301,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

पत्र संख्यां - 01/YB-24/19P1/488 दिनांक - 25-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39463	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	2,161,000.00 रुपये इक्कीस लाख इकसठ हजार
10	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39465	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	3,796,300.00 रुपये सैंतीस लाख छयानवे हजार तीन सौ
11	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39466	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	1,460,100.00 रुपये चौदह लाख साठ हजार एक सौ

योग: 7,417,400.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सत्ताइस लाख उन्नीस हजार तीन सौ 22,719,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

पत्र संख्यां - 01/YB-24/19P1/488 दिनांक - 25-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39467	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,168,100.00 रुपये ग्यारह लाख अडसठ हजार एक सौ
13	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजमा 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39468	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	835,200.00 रुपये आठ लाख पैतीस हजार दो सौ
14	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39469	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,109,700.00 रुपये ग्यारह लाख नौ हजार सात सौ

योग: 3,113,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अठावन लाख बत्तीस हजार तीन सौ 25,832,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

59.97.151.62

Run Date: 25/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39470	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,460,100.00 रुपये चौदह लाख साहठ हजार एक सौ
16	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39471	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	342,000.00 रुपये तीन लाख बयालीस हजार
17	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39473	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	79,800.00 रुपये उन्नासी हजार आठ सौ

योग: 1,881,900.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सित्योत्तर लाख चौदह हजार दो सौ 27,714,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

 Run Date: 25/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39474	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
19	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39475	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	228,000.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार
20	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39476	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	342,000.00 रुपये तीन लाख बयालीस हजार

योग: 1,026,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सित्यासी लाख चालीस हजार दो सौ 28,740,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

पत्र संख्या - 01/YB-24/19P1/488 दिनांक - 25-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39478	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	456,000.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार
22	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39479	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	513,000.00 रुपये पाँच लाख तेरह हजार
23	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39480	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	570,000.00 रुपये पाँच लाख सत्तर हजार

योग: 1,539,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड दो लाख उन्नासी हजार दो सौ 30,279,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39482	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	421,800.00 रुपये चार लाख इक्कीस हजार आठ सौ
25	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39483	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	741,000.00 रुपये सात लाख इकतालीस हजार
26	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39484	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार

योग: 1,447,800.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड स त्र ह लाख सत्ताइस हजार 31,727,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39485	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	228,000.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार
28	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39488	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	163,000.00 रुपये एक लाख तीरसठ हजार
29	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	39489	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	216,600.00 रुपये दो लाख सोलह हजार छः सौ

योग: 607,600.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड तेइस लाख चौतीस हजार छः सौ 32,334,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020

पत्र संख्या - 01/YB-24/19P1/488 दिनांक - 25-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
30	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्वीकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	39493	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	285,000.00 रुपये दो लाख पिचयासी हजार

State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)

Centeral Scheme : NA

योग: 285,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड छब्बीस लाख उन्नीस हजार छः सौ 32,619,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 25/8/2020